

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-116/2020/1127/41-2020-94(बजट)/2018

लखनऊ दिनांक मार्च, 2020

संख्या-108/2020/843(1)/41-2020-94(बजट)/2018 दिनांक 02.03.2020

का शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-44 में प्राप्त बजट संकलन के अनुसार राजस्व मद के लिए लेखाशीर्ष/उपशीर्ष में प्रावधानित धनराशि को व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-108/2020/843/41-2020-94(बजट)/2018 दिनांक 18 मार्च 2020 के द्वारा धनराशि रू0 75.00 लाख की धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निवर्तन पर रख जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 18.03.2020 के पृष्ठांकन के क्रमांक-7 पर त्रुटिवश वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ अंकित हो गया है। पृष्ठांकन के क्रमांक-7 पर टंकित मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा अंकित किया जाता है। तदनुसार शासनादेश दिनांक 18.03.2020 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 18.03.2020 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(ए0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-116/2020/1127/41-2020-94(बजट)/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- महानिदेश, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, उ0प्र0, मथुरा।
- 5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, उ0प्र0, मथुरा।
- 6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
- 8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
- 10- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
- 11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
- 12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।